



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-216/2021

दिनांक : 13.10.2021

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालयादेश क्रमांक : 005/2020-21/चौ.दी.स./2020/232 दिनांक 08.12.2020 के माध्यम से कोरोना संक्रमण के कारण छात्रावास छोड़कर अपने गृहनगर चले गए विद्यार्थियों/शोधार्थियों के पुस्तकालय, छात्रावास और इंटरनेट शुल्क में छूट के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन किया गया था।

उपर्युक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 23.03.2020 को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित होने के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के मुख्यालय छोड़कर जाने/छात्रावास खाली करने के कारण उनको लॉकडाउन से 20 दिन पूर्व तक निर्गत की पुस्तकों पर छात्रावास में आने की अनुमति प्राप्त होने तक विलंब शुल्क से छूट दी जाती है। संपूर्ण लॉकडाउन घोषित होने से 20 दिन से पूर्व निर्गत पुस्तकों पर नियमानुसार विलंब शुल्क लिया जायेगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
13/10/21

प्रति (ई-मेल द्वारा) : समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र के अकादमिक निदेशक एवं प्रभारीत

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. पुस्तकालयाध्यक्ष, महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. संबंधित पत्रावली